फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :—**श्री भीमा**
किस्म मुकदमा :— 212 रा.का.अधिनियम

विपक्षी :—**श्री रमेश**
पत्रावली संख्या :— 16 / 20
जीसीएमएस नम्बर :—2020 / 00060

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 12.03.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी संख्या 1, 3 से 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 2 का नाम तर्क किया जा चुका हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा बाबरिया खेडा पटवार हल्का आमली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070—73 की खाता संख्या 101 पर दर्ज आराजी नम्बर 290 / 175 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण व विपक्षीगण तथा विपक्षीगण के मौरूस के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण व विपक्षीगण खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण, विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाह रहे हैं। विपक्षीगण खातेदार होने से इनको अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। ऐसी स्थिति में यदि खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है तो इससे उनके हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा, खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी तथा इन्हे अपनी भूमि का विकास करने, ऋण आदि लेने में कठिनाई का सामना करना पडेगा। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता हैं। अतः विपक्षीगण खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते है। अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेंगे। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:51:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:51:25 IST
Reason: SelfAttested